राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर

टेण्डर–फॉर्म

संस्थान में स्थित कैंटीन के संचालन हेतु निविदा प्रपत्र टेण्डर फॉर्म का मूल्य रू0 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट 'निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर' के नाम पर देय होगा।

धरोहर राशिः कोटेड टेण्डर मूल्य 10/– टेण्डर प्राप्त एवं जमा करने की अन्तिम तिथि – 01.11.2022
समय :– अपरान्ह 03:00 बजे तक
टेण्डर खोलने की तिथि – 02.11.2022
समय :– अपरान्ह 04:00 बजे

1. ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पता.......................................
....
....
....
....
दूरभाष न0...
2. डी0डी0 नं0............................दिनाँक..........................
धनराशि रू0.......................................(धरोहर राशि)

3. निविदादाता द्वारा निविदित एक वर्ष का किराया रू0
....(शब्दों में) (क्रमांक 1 से 3 तक की सूचना न भरने पर निविदा अवैध मानते हुए निरस्त कर दी जायेगी।)

निविदा शर्तें

1. संस्थान कैंटीन निविदा आबंटन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर समस्त निविदा राशि जमाकर प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में द्वितीय, तृतीय,..................निविदादाता को उपरोक्तानुसार समय प्रदान किया जायेगा।
2. निविदा में कैंटीन/कैटरिंग/सामान आपूर्ति संचालन हेतु 05 वर्ष का किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्य का अनुभव संलग्न करना आवश्यक है।
3. फर्म का टिन नम्बर, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर एवं फूड लाइसेन्स की फोटो कापी संलग्न कराना आवश्यक है।
4. टेण्डर की धरोहर राशि कोटेड टेण्डर की 10 प्रतिशत की धनराशि के कैंटीन का ड्राफ्ट "निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर" के पक्ष में देय होगा।
5. कैंटीन के अन्दर व आसपास की साफ सफाई एवं रंगाई–पुताई/समस्त मेण्टीनेन्स व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी निर्माण कार्य ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। उक्त कार्य हेतु संस्थान से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. संस्थान प्रशासन किसी भी समय पर कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता आदि की जाँच कर सकता है। संस्थान प्रशासन की प्रतिकूल आख्या के आधार पर कभी भी कैंटीन ठेका निरस्त किया जा सकता है।

7. कैंटीन में अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों व छात्र/छात्राओं हेतु अलग–अलग बैठने के लिए फर्नीचर आदि की अच्छी व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी।
8. कैंटीन ठेकेदार द्वारा विक्रय की जाने वाली समस्त सामग्रीं की रेट लिस्ट संस्थान प्रशासन से अनुमोदित करायी जानी आवश्यक है।
9. कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ रखना अथवा प्रयोग करना या करने देना पूर्णतः निषिद्ध होगा। ऐसा पाये जाने पर कैंटीन का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए समस्त निविदा राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. कैंटीन में जो सामग्री विक्रय हेतु रखी जायेगी उसकी एक मूल्य सहित सूची कैंटीन के अन्दर तथा एक सूची कैंटीन के बाहर लगाना अनिवार्य हागा।
11. कैंटीन ठेकेदार किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत न हो और न ही किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हो, वकील एवं पुलिसकर्मी भी न हो। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं
12. कैंटीन में कार्यरत सभी कर्मचारी संस्थान द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अनुशासन में कार्य करेंगे।
13. कैंटीन में किसी भी अराजक/अवांछनीय व्यक्तियों को बैठने देना प्रतिबन्धित होगा। ऐसे लोगो का पाये जाने पर ठेका आबटन निरस्त किया जा सकता हे।
14. संस्थान की कैंटीन संचालन का अनुबन्ध संस्थान प्रशासन एवं ठेकेदार के मध्य रू0 100/– के स्टॉम्प पेपर पर करना होगा। जो मात्र 01 वर्ष हेतु मान्य होगा। भविष्य में सामानों की गुणवत्ता एवं कैंटीन संचालन के कार्य व्यवहार से संतुष्ट होने पर उक्त अवधि आगामी 01 वर्ष हेतु पुरानी निविदा राशि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर संस्थान के कोष में जमा करने पर बढ़ायी जा सकती है। उक्त अधिकार संस्थान प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
15. कैंटीन ठेकेदार को उसके द्वारा उपयोग की गयी विद्युत राशि का भुगतान निर्धारित दरों रू0 3000/–प्रतिमाह/मीटर रीडिंग के आधार पर संस्थान को प्रतिमाह की दर से कम से कम 2 माह के अग्रिम के रूप जमा करना अनिवार्य होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में **"निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर"** द्वारा प्रकरण में दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कार्य अवधि के अतिरिक्त भी कैंटीन का उपयोग सक्षम अधिकारी के निर्देश पर किया जा सकता है।
18. कैंटीन हेतु निविदा प्रपत्र डालना आवश्यक है।
19. निविदा को निरस्त करने का अधिकार **"निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर"** के पास सुरक्षित होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला बिजनौर में ही होगा।
21. जिलाधिकारी स्तर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं 50 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. यदि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा प्रतिभाग किया जाता है तो उसे वरीयता दी जायेगी।
23. फर्म की विगत पॉंच वर्ष की बैलेन्स सीट सी0ए0 द्वारा प्रमाणित एवं पॉंच वर्ष का आयकर विवरण (आई0टी0आर0) दाखिल करना अनिवार्य है।
24. उपरोक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में जारी समय–समय पर शासनादेश/निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः– वॉंछित समस्त प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र टेण्डर फॉर्म फीस रू 500/–(रूपये पॉच सौ मात्र) वापिस नहीं की जायेगी । कार्यालय कार्य दिवसों में टेण्डर फार्म प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक स्थापना विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

18/10/2022

कुलसचिव

Naresh Kumar
(Registrar)
Rajkiya Engineering College
Bijnor (U.P.)